कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री साहिल ट्रेडर्स, 210, मुस्तफागढ़ी, काली नदी रोड, बुलन्दशहर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**009 / 13, 19.03.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मोहम्मद वसीम, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री साहिल ट्रेडर्स, 210, मुस्तफागढ़ी, काली नदी रोड, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 19.03.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें बिस्कुट चूरा एवं बिस्कुट बुरादा पर, करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने की प्रार्थना की गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मोहम्मद वसीम, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उनके फर्म द्वारा बिस्कुट चूरा व बिस्कुट बरूदा की खरीद प्रान्त बाहर से आयात घोषणा-पत्र के माध्यम से की जाती है तथा नियमित रिटर्न दाखिल करते हुए करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जाता है । यह भी बताया गया कि उनके द्वारा उक्त माल की बिक्री प्रान्त अन्दर के व्यापारियों को पशु आहार के रूप में की जाती है । पशु आहार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-I में करमुक्त वस्तु के रूप में वर्गीकृत है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिस्कुट चूरा व बिस्कुट बुरादा को करमुक्त की श्रेणी में स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद के पत्र संख्या-401, दिनांक 02.07.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं अर्थात-बिस्कुट चूरा, बिस्कुट की टूट-फूट, रिजेक्ट बिस्कुट एवं जले हुए बिस्कुट का उल्लेख किया गया है वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II के किसी भी प्रविष्टि में उल्लिखित नहीं है, परन्तु व्यापारी द्वारा 5% की दर से स्वयं कर जमा किया जा रहा है । पशु आहार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-04 पर करमुक्त है । इससे स्वत: स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा अपने बिक्रीत वस्तु को पशु आहार के अन्तर्गत नहीं माना जाता है तथा बिक्री की जाने वाली वस्तु के प्रयोग पर विक्रेता व्यापारी का कोई नियन्त्रण भी नहीं रहता है ।

यह भी अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा बिक्री की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग केक बनाने व मूल्य कम होने के कारण सामान्य जन द्वारा खाने में भी किया जाता है । इसके अतिरिक्त कन्फेक्शनरी आइटम्स के निर्माण में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है । अत: उक्त वस्तुओं को पशु आहार माने जाने का कोई आधार नहीं है ।

उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I व

....2

अनुसूची-II की किसी प्रविष्टि के अन्तर्गत विज्ञापित तथा समाहित नहीं हैं । अत: इन वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्पष्ट होती है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल करते हुए 5% की दर से स्वयं कर जमा किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधानित है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, वही प्रश्न पूछा जा सकता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963(1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही रिटर्न दाखिल करने से ही प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा करने के कारण धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रार्थना-पत्र धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है । यह भी कहा गया कि उपरोक्त वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I व अनुसूची-II की किसी प्रविष्टि के अन्तर्गत विज्ञापित तथा समाहित नहीं हैं । अत: इन वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि बिस्कुट चूरा एवं बिस्कुट बुरादा जो कि उनके द्वारा पशु आहार के रूप में बिक्री की जाती है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I व अनुसूची-II की किसी प्रविष्टि के अन्तर्गत विज्ञापित तथा समाहित नहीं हैं । प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल करते हुए 5% की दर से स्वय कर जमा किया जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है । अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये ।

दिनांक 26 नवम्बर, 2013

ह0 / 26.11.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।